न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 237/2017/223 आर टी ए

भंवरसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपूत निवासी कलाना तहसील भादरा।

––अपीलांट

बनाम

1. किशनसिंह पि0मु0 सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––असल रेस्पो0

2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।
3. एसकेजीबी शाखा कलाना जरिये शाखा प्रबन्धक कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

––रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 01.07.2016 न्यायालय सहायक कलैक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा प्रकरण सं. 589/2013 अनवानी किशनसिंह बनाम भंवरसिंह आदि

उपस्थित :–

श्री अंजनी कुमार, श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलांट
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांकः–06.09.2018

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश कर संयुक्त खाता की भूमि के विभाजन हेतु अनुतोष चाहा गया। प्रतिवादी सं. 1 अपीलांट हाजिर आकर पत्रावली दिनांक 12.07.16 को प्रतिवादी सं. 1 के जवाब हेतु दिनांक 28.03.2016 मुकर्रर थी तथा दिनांक 01.07.2016 को उक्त पत्रावली लोक अदालत मे विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17.06.2016 के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी कर दी जिसमे अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होती है तथा उसके खातेदारी हकूक का हनन होता है। अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17.06.16 पर सुना नही गया तथा ना ही कोई एतराज पेश करने का मौका दिया गया है और ना ही अपीलांट प्रतिवादी के अधिवक्ता को कोई सूचना दी गई। बल्कि उक्त अपीलाधीन निर्णय व अन्तिम डिक्री लोक अदालत की भावना के खिलाफ जाते हुए पारित किया गया है। उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे अपीलांट को घटीया किस्म की भूमि दी गई तथा रेस्पो0 को अच्छी किस्म की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि दी गई है। उक्त निर्णय व डिक्री केवल रेस्पो0 ने साजीसाना रूप से पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का से मिलकर विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17.06.16 जिस पर तहसीलदार के कोई हस्ताक्षर नही है, के आधार पर पारित की है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि निर्णय दिनांक व डिक्री दिनांक 13.05.2013 गलत, विधि विरूद्ध व न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। प्रतिवादी सं. 1 अपीलांट हाजिर आकर पत्रावली दिनांक 12.07.16 को प्रतिवादी सं. 1 के जवाब हेतु दिनांक 28.03.2016 मुकर्रर थी तथा दिनांक 01.07.2016 को उक्त पत्रावली लोक अदालत मे विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17.06.2016 के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी कर दी जिसमे अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होती है तथा उसके खातेदारी हकूक का हनन होता है। अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17.06.16 पर सुना नही गया तथा ना ही कोई एतराज पेश करने का मौका दिया गया है और ना ही अपीलांट प्रतिवादी के अधिवक्ता को कोई सूचना दी गई। बल्कि उक्त अपीलाधीन निर्णय व अन्तिम डिक्री लोक अदालत की भावना के खिलाफ जाते हुए पारित किया गया है। उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे अपीलांट को घटीया किस्म की भूमि दी गई तथा रेस्पो0 को अच्छी किस्म की भूमि दी गई है। उक्त निर्णय व डिक्री केवल रेस्पो0 ने साजीसाना रूप से पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का से मिलकर विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17.06.16 जिस पर तहसीलदार के कोई हस्ताक्षर नही है, के आधार पर पारित की है। विचारण न्यायालय ने राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की कोई पालना नही की है जबकि खाता विभाजन प्रस्ताव मे उक्त नियम की पालना करना अनिवार्य है। अपीलांट को अपीलांट निर्णय व डिक्री का ज्ञान दिनांक 26.06.17 को रेस्पो0 द्वारा ऐलानिया तौर धमकी देने पर हुआ है तथा रेस्पो0 ने धमकी

दी िकवह भूमि का कब्जा छोड दे मैने वादग्रस्त भूमि का खाता विभाजन अदालत की डिक्री से अभियान कैम्प कोर्ट मे करवा लिया है तब जाकर अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जानकारी सर्वप्रथम हुई। इसलिये अपील ज्ञान से अन्दर मियाद पेश की जा रही है जिसमे अपील प्रस्तुति मे हुई देरी को माफ किया जाकर अपील ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2016 को निरस्त फरवाया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि रेस्पो0 सं. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खाता तकसीम बाबत वाद प्रस्तुत किया गया था। जिसमे प्रतिवादी अपीलांट हाजिर आया परन्तु कोई जवाब आदि प्रस्तुत नही किया गया। पत्रावली राजस्व कैम्प कोर्ट अभियान मे विभाजन प्रस्ताव हेतु रखी वादपत्र अन्तिम डिक्री किया गया है जो सही है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान शुरू से ही रहा है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम मे वर्णित तथ्य कतई गलत एवं निराधार है। मुवक्किल की निष्क्रियता और सुस्ती उदार दृष्टिकोण नही अपनाया जा सकता अन्यथा यह मियाद कानून को निरर्थक बना देगा विलम्ब स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त कारण नही है– प्रार्थना पत्र एवं अपील खारिज होने योग्य है। अपीलांट ने अपील मियाद बाहर पेश की है जो खारिज योग्य है। अपीलांट ने उक्त अपील बिना किसी आधार के पेश की गई जो स्वीकार योग्य नही है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरबीजे 1995 (2) पेज 82, आरआरटी 2017 पेज 117 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का

प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली का अवलोकन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो अपीलांट की तामील करवाई और ना ही खाता तकसीम करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया गया तथा पटवारी हल्का की विभाजन रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये दावा अन्तिम डिक्री किया गया है जिससे विभाजन के वाद मे विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई है। जबकि विभाजन के वाद मे समस्त पक्षकारान की उपस्थिति मे वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे तहसीलदार स्वयं मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें तथा तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर दावा मे

Web Copy - Not Official

अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे तहसीलदार स्वयं मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.10.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official